तार : विश्वविद्यालय
Gram : UNIVERSITY

टेलीफोन : कार्या0 : 2320496
कुलसचिव : निवास : 2321214
फैक्स : 0510 : 2321667

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI (U.P.)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

संदर्भ: बु0वि0/सम्ब0/2012/1039-47 पंजीकृत दिनांक 10-5-12

सेवा में,
प्रबंधक,
जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय,
उरई।

विषय : जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय, उरई को शिक्षा संकाय में स्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में सूचित करना है कि जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय, उरई को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन के पत्र संख्या 2067/सत्तर-2-2011-2(421)/2009 दिनांक 07/7/2011 के द्वारा परीक्षाफल के अभाव में शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी गयी है :

"परीक्षाफल घोषित हो जाने पर सत्र 2011-12 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति को सम्बद्धता (स्थायी) मानते हुये दिनांक 1/7/2012 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता(स्थायी) आदेश निर्गत किये जायेंगे"

उक्त प्रकरण को कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 22/03/2012 के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। तदोपरान्त कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 22/03/2012 के मद संख्या 7 में लिये गये निर्णयानुसार जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय, उरई को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में बी0एड0 पाठ्यक्रम में दिनांक 1/7/2012 से स्थायी सम्बद्धता की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. संस्था शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

..........2

तार : विश्वविद्यालय
Gram : UNIVERSITY

टेलीफोन : कार्या0 : 2320496
कुलसचिव : निवास : 2321214
फैक्स : 0510 : 2321667

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI (U.P.)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

दिनांक.....

संदर्भ.....

2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश मे वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय

(अशोक कुमार अरविन्द)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2,, उ0 प्र0 शासन लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उ0 प्र0 इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झांसी।
4. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद इंदिरा भवन लखनऊ।
5. वेब मास्टर उच्च शिक्षा विभाग उ0 प्र0 शासन,लखनऊ।
6. निजी सचिव मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
7. श्री दीपक तोमर सिस्टम एनालिस्ट।
8. समाजकल्याण अधिकारी जालौन स्थान उरई।
9. आदेश पंजिका।

कुलसचिव

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

सन्दर्भ :- बु०वि०/सम्ब०/2021/3637 दिनांक :- 31/07/2021

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय,
उरई, जालौन।

विषय:- जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय, उरई, जालौन को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में बी०एल०एड० पाठ्यक्रम में दिनांक 01/07/2021 से सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के पत्र सं० संख्या-1145/सत्तर-2-2014-16(296)/2013 दिनांक 01 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देशानुसार जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय, उरई, जालौन को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में बी०एल०एड० पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान करने के लिये कुलपति जी की अध्यक्षता में गठित सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 20 जुलाई 2021 में निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं संलग्न अभिलेख प्रस्तुत किये गये। निरीक्षण मण्डल की संस्तुति एवं महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध अभिलेखों तथा कार्यालयी टीप का अवलोकन समिति द्वारा किया गया।

निरीक्षण मण्डल की आख्या, कार्यालय द्वारा प्रस्तुत आख्या एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी द्वारा जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय, उरई, जालौन को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में बी०एल०एड० पाठ्यक्रम में 50 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ दिनांक 1/7/2021 से सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करने की कृपा की है :-

1. महाविद्यालय में अनुमोदित शिक्षकों के वेतन आदि एवं महाविद्यालय की अन्य किसी वित्तीय दायित्व के लिये विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
2. महाविद्यालय सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों को प्रत्येक दशा में एक माह के भीतर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करेगा तथा विश्वविद्यालय को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
3. महाविद्यालय विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष अग्निशमन विभाग के नियमों के अनुसार अग्निशमन प्रमाण पत्र नवीनीकरण कराते हुए प्रस्तुत करेगा।
4. महाविद्यालय मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित कराकर, अनुमोदित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण आख्या, फोटोयुक्त (प्रबन्धक/सचिव तथा सम्बन्धित शिक्षक) अनुबन्ध पत्र जिसमें अनुबन्ध की अवधि तथा वेतन मान स्पष्ट उल्लेख हो, बैंक खाता संख्या का विवरण ऑनलाइन करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI

संख्या – बु0वि0/ सम्ब0/2021/[illegible]
दिनांक– [illegible]/07/2021

5. महाविद्यालय कार्यपरिषद के निर्णयानुसार सभी कक्षों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाकर उन्हें विश्वविद्यालय के नियन्त्रण कक्ष से इण्टरनेट के माध्यम से जोड़ कर तदनुसार सिस्टम एनालिस्ट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त करायेगा।

6. उक्त महाविद्यालय शासनादेश सं0 2851/सत्तर–2–2003–15(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगा। माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं0 61353/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0–552/सत्तर 2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का भलीभाँति अनुपालन तथा अनुमोदित शिक्षकों के वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेगा।

7. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटरचित थी अथवा ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतन्त्र का होगा।

8. सम्बद्ध महाविद्यालयों को 100 रूपये के शपथ पत्र पर महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों, व्याख्यान कक्षों व प्रयोगशाला का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रयोगात्मक विषयों में सम्बद्धता प्रदान की गयी है, वहाँ इस आशय का शपथ पत्र वांछित है कि स्नातक/स्नातकोत्तर विषयों में पृथक पृथक प्रयोगशाला है, जो पूर्ण रूप से निर्मित व सुसज्जित है।

9. यदि महाविद्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एवं विश्वविद्यालय परिनियम में वर्णित प्राविधानों/उपबन्धों तथा समय–समय पर शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्ति तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में विहित प्राविधानों के अर्न्तगत महाविद्यालय को प्रदान की गयी सम्बद्धता [illegible] किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय

(नारायण प्रसाद)
कुलसचिव

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, प्रयागराज।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झाँसी।
4. परीक्षा नियंत्रक, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी।
5. सम्बन्धित [illegible] अधिकारी,जालौन
6. श्री [illegible], आशुलिपिक, सम्बद्धता विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र [illegible] वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. [illegible] निजी सचिव को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
8. [illegible] आशुलिपिक।

कुलसचिव

तार : विश्वविद्यालय
Gram : UNIVERSITY

टेलीफोन : कार्यालय : 2320496
कुलसचिव : निवास : 2321214
फैक्स : 0510 : 2321667

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI (U.P.)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

संदर्भ: [illegible]/2019/362

दिनांक 4/8/19

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय,
[illegible], जालौन।

विषय:- जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय, [illegible], जालौन को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में दिनांक 01.07.2019 से सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्रदान हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत में तथा अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 वाप0-1146/सत्तर-2-2014-16(200)/2015 दिनांक 01 अगस्त, 2015 में दिये गये निर्देशानुसार जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय, [illegible], जालौन को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में बी0एड0 पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान करने के लिये कुलपति जी की अध्यक्षता में गठित सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 25 मई 2019 में निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत वेतन भुगतान का विवरण एवं आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की गयी। निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत शिक्षकों के आधार कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति, [illegible] अभिलेखों तथा [illegible] का परीक्षण किया गया [illegible] सम्बद्धता समिति की संस्तुति के आधार पर कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी द्वारा जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय, [illegible], जालौन को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में बी0एड0 पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2019 से सम्बद्धता की सशर्त अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करने की कृपा की है :-

1. महाविद्यालय विश्वविद्यालय को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
2. महाविद्यालय विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष अग्निशमन विभाग के नियमों के अनुसार अग्निशमन प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराते हुए प्रस्तुत करेगा।
3. महाविद्यालय एन0सी0टी0ई0/विश्वविद्यालय के मानकानुसार अनुमोदित शिक्षकों की नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण आख्या, फोटोयुक्त (प्रबन्धक/सचिव तथा सम्बन्धित शिक्षक) अनुबन्ध पत्र जिसमें अनुबन्ध की अवधि तथा वेतन [illegible] एवं बैंक खाता संख्या का विवरण उपलब्ध कराते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में [illegible] सुनिश्चित करेंगे।
4. महाविद्यालय कार्यपरिषद के निर्णयानुसार सभी कक्षों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाकर [illegible] विश्वविद्यालय [illegible] प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त करायेगा।
5. [illegible] के माध्यम से [illegible] शासनादेश सं0 2051/सत्तर-2-2003-10(27)/2003 दिनांक 03 जुलाई, 2003 में उल्लिखित उक्त महाविद्यालय शासनादेश [illegible] एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगा। माननीय उच्च न्यायालय के [illegible] दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में [illegible] रिट याचिका सं0 11056/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0-521/सत्तर-2-2013-2(50)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का [illegible] शिक्षकों के वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेगा।

[illegible] अनुमोदन तथा अनुमोदित शिक्षकों के वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से [illegible]

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :- बु०वि०/सम्ब०/2017/

दिनांक 30/6/17

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय
उरई, जालौन

विषय:- स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय, उरई, जालौन को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में बी०एल०एड० विषय/पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2017 से सशर्त सम्बद्धता की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्राविधानों के आलोक में तथा अनुभाग-2, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के पत्र सं० सम्ब०-1145/सत्तर-2-2014-16(258)/2013 दिनांक 21 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देशानुसार तथा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014, (उ०प्र० अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) में दी गयी व्यवस्था के आधार पर जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय, उरई, जालौन को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में बी०एल०एड० विषय/पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की अनुमति प्रदान करने के लिये दिनांक 29.05.2017 को कुलपति जी की अध्यक्षता में गठित सम्बद्धता समिति की बैठक में निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त समिति द्वारा निम्नलिखित कमियाँ इंगित की गई है:-

1. अनुमोदित शिक्षकों की कार्यभार ग्रहण आख्या एवं बैंक खाता विवरण संलग्न नहीं है।

सम्बद्धता समिति की संस्तुति तथा कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी ने स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय, उरई, जालौन को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में बी०एल०एड० पाठ्यक्रम/विषय में दिनांक 01.07.2017 से आगामी चार वर्ष के लिए सशर्त सम्बद्धता की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1. महाविद्यालय सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों को प्रत्येक दशा में एक माह के भीतर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सूचित करना तथा विश्वविद्यालय को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
2. महाविद्यालय विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष अग्निशमन विभाग के नियमों के अनुसार अग्निशमन प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराते हुए प्रस्तुत करेगा।
3. महाविद्यालय एन०सी०टी०ई० के मानकानुसार अनुमोदित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण आख्या, नोटरीकृत (प्रबन्धक/सचिव तथा सम्बन्धित शिक्षक) अनुबन्ध पत्र जिसमें अनुबन्ध की अवधि तथा देय वेतन का स्पष्ट उल्लेख हो, बैंक खाता संख्या का विवरण ऑनलाइन करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
4. महाविद्यालय कार्यपरिषद के निर्णयानुसार सभी कक्षों में सी०सी०टी०वी० कैमरे लगाकर उन्हें विश्वविद्यालय के नियन्त्रण कक्ष से इण्टरनेट के माध्यम से जोड़ कर तद्नुसार सिस्टम इन्टीग्रेटर द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त करायेगा।
5. उक्त महाविद्यालय शासनादेश सं० 2851/सत्तर-2-2003-16(32)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगा। माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका सं० 61860/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं०-522/सत्तर-2-2013-2(050)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का भलीभांति अनुपालन तथा अनुमोदित शिक्षकों के वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेगा।

6. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटरचित थी अथवा ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया है जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतन्त्र का होगा।

7. समस्त महाविद्यालयों को 100 नम्बर के शपथ पत्र पर महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों, व्याख्यान कक्षों व प्रयोगशाला का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रयोगात्मक विषयों में सम्बद्धता प्रदान की गयी है, वहां इस आशय का शपथ पत्र वांछित है कि स्नातक/स्नातकोत्तर विषयों में पृथक-पृथक प्रयोगशाला है, जो पूर्ण रूप से निर्मित व सुसज्जित है।

8. यदि महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एवं विश्वविद्यालय परिनियम में वर्णित प्राविधानों/उपबन्धों तथा समय-समय पर शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(व्यास नारायण सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झांसी।
4. परीक्षा नियंत्रक, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।
5. समाज कल्याण अधिकारी, जालौन स्थान उरई।
6. डा0 दीपक तोमर, सिस्टम एनालिस्ट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र महाविद्यालय के कॉलेज लॉगइन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
8. कुलसचिव की आशुलिपिक।

कुलसचिव

तार : विश्वविद्यालय
Gram : UNIVERSITY

टेलीफोन : कार्या0 : 2320496
कुलसचिव : निवास : 2321214
फैक्स : 0510 : 2321667

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी
BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI (U.P.)

झाँसी (उ.प्र.) 284128

संदर्भ पत्रांक - कुलसचिव/सम्ब0/2019/362

दिनांक 4/6/19

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय,
उरई, जालौन।

विषय:- जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय, उरई, जालौन को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर
शिक्षा संकाय में दिनांक 01.07.2019 से सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन्
2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की
सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है तथा सम्बद्धता का अधिकार विश्वविद्यालय को
प्राप्त हो गया है। मूल अधिनियम की धारा 37 में विहित प्रावधानों के आलोक में तथा अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2,
उ0प्र0 शासन के पत्र स0 सम्ब0-1146/सत्तर-2-2014-18(258)/2013 दिनांक 01 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देशानुसार
जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय, उरई, जालौन को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में
बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान करने के लिये कुलपति जी की अध्यक्षता में गठित सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक
25 मई 2019 में निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत वेतन भुगतान का विवरण एवं आधार कार्ड की प्रति
प्रस्तुत की गयी। निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत शिक्षकों के आधार कार्ड की प्रमाणित छायाप्रतियाँ,
पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों तथा कार्यालयी टीप का परीक्षण किया गया परीक्षणोपरान्त सम्बद्धता समिति की संस्तुति के
आधार पर कार्यपरिषद के अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी द्वारा जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय, उरई,
जालौन को स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय मे बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.
2019 से सम्बद्धता की सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करने की कृपा की है :-

1. महाविद्यालय विश्वविद्यालय को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है।
2. महाविद्यालय विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष अग्निशमन विभाग के नियमों के अनुसार अग्निशमन प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराते हुए प्रस्तुत करेगा।
3. महाविद्यालय एन0सी0टी0ई/विश्वविद्यालय के मानकानुसार अनुमोदित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण आख्या, फोटोयुक्त (प्रबन्धक/सचिव तथा सम्बन्धित शिक्षक) अनुबन्ध पत्र जिसमें अनुबन्ध की अवधि तथा देय वेतन का स्पष्ट उल्लेख हो, बैंक खाता संख्या का विवरण ऑनलाइन करते हुए एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
4. महाविद्यालय कार्यपरिषद के निर्णयानुसार सभी कक्षों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाकर उन्हें विश्वविद्यालय के नियन्त्रण कक्ष से इण्टरनेट के माध्यम से जोड़ कर तदनुसार सिस्टम एनालिस्ट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त करायेगा।
5. उक्त महाविद्यालय शासनादेश स0 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगा। माननीय उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका स0 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश स0-522/सत्तर-2-2013-2(850)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का भलीभांति अनुपालन तथा अनुमोदित शिक्षकों के वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेगा।

Scanned with CamScanner

6. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटरचित थी अथवा ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी तो प्रदत्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबन्धतन्त्र का होगा।
7. समस्त महाविद्यालयों को 100 रूपये के शपथ पत्र पर महाविद्यालय में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों, व्याख्यान कक्षों व प्रयोगशाला का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जिन महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रयोगात्मक विषयों में सम्बद्धता प्रदान की गयी है, वहां इस आशय का शपथ पत्र वांछित है कि स्नातक/स्नातकोत्तर विषयों में पृथक–पृथक प्रयोगशाला है, जो पूर्ण रूप से निर्मित व सुसज्जित है।
8. यदि महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एवं विश्वविद्यालय परिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा समय–समय पर शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(व्यास नारायण सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन, इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, झांसी।
4. परीक्षा नियंत्रक, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी।
5. समाज कल्याण अधिकारी, जालौन स्थान उरई।
6. डा0 दीपक तोमर, सिस्टम एनालिस्ट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र महाविद्यालय के कॉलेज लॉगइन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. कुलपति जी के निजी सचिव को कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
8. कुलसचिव के आशुलिपिक।

कुलसचिव

कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी,उ0प्र0,इलाहाबाद

आदेश सं0/शि0स0/सम्बद्धता/ 3104--11 /2015--16 दिनांक 11 सितम्बर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश सं0 1247/15--11--2015 शिक्षा अनुभाग--11 लखनऊ दिनांक 28.08.2015 द्वारा निजी संस्थान जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय, कोच रोड, उरई जालौन को शासन द्वारा राज्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, द्वारा दो वर्षीय बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2014--15 से 50 (पचास) सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जाती है :--

1. संस्थान द्वारा लगातार प्रभूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय--समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।
2. जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय--समय पर बनाये जाने वाले नियम लागू होंगे।
3. नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क अन्य कोई भी चार्ज परीक्षा की समय सारणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।
5. सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थाई अभिलेख होंगे जिन्हे सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थाई रूप से रखा जायेगा।
6. संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद लखनऊ की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक रखी जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेबसाइट पर किया जायेगा।
7. प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 07.05.2015 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2014--15 से 50 (पचास) सीटों की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद।

उ0सं0/ शि0स0/सम्बद्धता/ 3104--11 /2015--16 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित --

1. सचिव, बेसिक शिक्षा,उ0प्र0,शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, उ0प्र0शासन, शिक्षा अनुभाग --11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उ0प्र0,लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0,लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि--II, एल0आई0सी0 बिल्डिंग, भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर--302005 (राजस्थान)।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जालौन।
7. प्रबन्धक/सचिव जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय, कोच रोड, उरई जालौन।
8. गार्ड फाइल।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद।

संख्या– 1901 /15–11–2016

प्रेषक,

ममता श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–11 लखनऊ, दिनांक 19 सितम्बर, 2016

विषय– निजी संस्थान जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय प्लाट नं0– 368 कौंच रोड उरई जालौन को बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी संस्थान जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय प्लाट नं0– 368 कौंच रोड उरई जालौन को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016–17 से अतिरिक्त एक यूनिट (अतिरिक्त 50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाती है:–

(1) संस्थान द्वारा लगातार प्राप्त एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।

(2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।

(3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय–सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।

(5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।

(6) संस्थान द्वारा अपनी वेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की वेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब–साइट पर किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 09.06.2016 से 10.06.2016 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2016–17 से अतिरिक्त एक यूनिट (अतिरिक्त 50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

भवदीया,

(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

संख्या– (1)/15–11–2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, हंस भवन, 01 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पिन–110002
2– क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, चौथी मंजिल, जीवन निधि–II, एल0आई0सी0 बिल्डिंग, आम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह मार्ग, जयपुर, राजस्थान, पिन–302005।
3– सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4– प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जालौन।
5– सचिव/प्रबन्धक, जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय प्लाट नं0– 368 कौंच रोड उरई जालौन।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

कार्यालय, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी,उ0प्र0,इलाहाबाद

आदेश सं0/सम्बद्धता/ 12176-83 /2016-17 दिनांक 26 सितम्बर, 2016

कार्यालय ज्ञाप

शासनादेश सं0 1901/15-11-2016 शिक्षा अनुभाग-11 लखनऊ दिनांक 20.09.2016 द्वारा निजी संस्थान जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय, प्लाट सं0- 368 कोंच रोड उरई जालौन को शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा दो वर्षीय बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु दी गयी मान्यता विषयक निर्गत आदेश में अंकित शर्तों तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016-17 से अतिरिक्त एक यूनिट (अतिरिक्त 50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जाती है-

(1) संस्थान द्वारा लगातार प्रामूत एवं सुरक्षित कोष को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संशोधित मानकों के अनुसार नवीनीकृत एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पक्ष में बन्धक रखना होगा।

(2) जिन मानकों एवं शर्तों के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता एवं राज्य सरकार द्वारा सम्बद्धीकरण दिया गया है उसमें राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना संस्थान द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। संस्थान पर एन0सी0टी0ई0 तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाए जाने वाले नियम लागू होंगे।

(3) नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार भवन की उपयुक्तता एवं अग्निशमन से सम्बन्धित उपायों को संस्थान द्वारा मानकों के अनुसार सदैव सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रशिक्षणार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी प्रवेश प्रक्रिया, आरक्षण के नियम, परीक्षा शुल्क, अन्य कोई भी चार्ज, परीक्षा की समय-सारिणी तथा पाठ्यक्रम संस्थान पर बाध्यकारी होगा।

(5) सम्बद्धता निर्गत होने के दो माह की अवधि में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुसार विधिवत् चयनित संकाय सदस्यों का अनुमोदन सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाना होगा। संकाय सदस्यों के बायोडाटा एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों तथा अन्य सूचनाओं को अनुमोदन हेतु सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह अभिलेख स्थायी होंगे, जिन्हें सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0, इलाहाबाद तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्थायी रूप से रखा जायेगा।

(6) संस्थान द्वारा अपनी बेबसाइट राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद की बेबसाइट के साथ हाइपरलिंक की जायेगी तथा अपेक्षित सूचनाओं का उल्लेख वेब-साइट पर किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत संस्थान को राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 09.06.2016 से 10.06.2016 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुति के आधार पर बी0टी0सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु शैक्षिक सत्र 2016-17 से अतिरिक्त एक यूनिट (अतिरिक्त 50 सीट) की सम्बद्धता प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त सम्बद्धता भूमि भवन आदि के सम्बन्ध में एन0सी0टी0ई0 के दिशा निर्देशों के अधीन होगी।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद।

पृ0सं0 / सम्बद्धता/ 12176-83 /2016-17 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, बेसिक शिक्षा,उ0प्र0,शासन लखनऊ।
2. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0शासन, शिक्षा अनुभाग -11 लखनऊ।
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0,लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0,लखनऊ।
5. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि-II, एल0आई0सी0 बिल्डिंग, भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर-302005 (राजस्थान)।
6. प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जालौन।
7. प्रबन्धक/सचिव, जमुना देवी नरेश चन्द्र महाविद्यालय, प्लाट सं0- 368 कोंच रोड उरई जालौन।
8. गार्ड फाइल।

श्रीमती (नीना श्रीवास्तव)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उ0प्र0,इलाहाबाद।